राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0, जयपुर।

क्रमांक :–प.5(275)निपेवि/नियम/2015/एकलपत्रावली 1664-80 दिनांक 24.07.2015

1. संयुक्त/अति. निदेशक
   पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग
   क्षे. का. भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर।
2. समस्त सहायक/उप निदेशक/सहायक लेखाधिकारी,
   पी. आर. अनुभाग, कार्यालय हाजा।

विषय :– सैनिक सेवा के साथ–साथ राज्य सेवा की पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 01.10.1996 से पूर्व के इस श्रेणी के सेवानिवृत्ति के मामलों में पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के सम्बन्ध में एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के पत्र क्रमांक प.10(5) वित्त/राजस्व/2013/पार्ट–1 दिनांक 03.07.15 द्वारा मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्ति उपरान्त राज्य सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में मिलिट्री सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ–साथ राज्य सेवा की पारिवारिक पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में बार कोड संख्या 321500341 दिनांक 27.04.2015/01.07.15 से प्राप्त अभिमत/मार्गदर्शन निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या 1 (i) जिन मामलों में रक्षा सेवा की पारिवारिक पेंशन न्यूनतम से अधिक मिल रही है, उन मामलों में सिविल सेवा की पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी अधिकृत किया जाना है। यदि किसी पेंशनर की आयु 67 वर्ष नहीं हुई है तो उसके मामले में मृत्यु की तिथि से 67 वर्ष की आयु पूरी करने तक या अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिये जो भी पहले हो, के लिऐ बढ़ी हुई दर (Enhance Rate) से पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जानी है. तत्पश्चात नियमानुसार साधारण पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जानी है।

(ii) जिन मामलों में रक्षा सेवा की पारिवारिक पेंशन न्यूनतम देय है, उन मामलों में सिविल सेवा की पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी अधिकृत किया जाना है। यदि किसी पेंशनर की आयु 67 वर्ष नहीं हुई है तो उसके मामले में मृत्यु की तिथि से 67 वर्ष की आयु पूरी करने तक या अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए जो भी पहले हो, के लिए बढ़ी हुई दर (Enhance Rate) से पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जानी है, तत्पश्चात् परिलब्धियों के 30 प्रतिशत (निर्धारित दर) से पारिविारिक पेशन की गणना न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से कम होने पर दर के अनुसार फलित राशि अधिकृत की जानी है, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन नहीं।

(iii) पारिवारिक पेंशन का वास्तविक भुगतान दिनांक 18.03.2015 अथवा पेंशनर की मृत्यु की तिथि जो भी बाद में हो से किया जाना है।

बिन्दु संख्या – 2 उपरोक्त संशोधन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में किया गया है, जो संशोधन की दिनांक 18.03.2015 से प्रभावी है। अतः दिनांक 01.10.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में भी उक्त प्रावधान लागू होंगे। पेंशन का संशोधन

Bhavna A

समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा परन्तु जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन की वास्तविक गणना न्यूनतम पेंशन से कम होगी उन्हें न्यूनतम पारिवारिक पेंशन के स्थान पर वास्तविक गणना के आधार पर पारिवारिक पेंशन देय होगी।

बिन्दु संख्या 3 (i) सेवानिवृत्ति/सेवा में रहते हुये मृत्यु की तिथि को जो परिलब्धियां थीं, उनके आधार पर तत्समय लागू दरों से पारिवारिक पेंशन की गणना की जानी चाहिये तथा तदपरान्त राज्य सरकार द्वारा पेंशन समेकन/संशोधन के लिये समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की दर समेकित/संशोधित की जानी चाहिये जैसा कि सभी पेंशनरों के मामलों में किया जाता है परन्तु इन मामलों में समय-समय पर पेंशन/पारिविारिक पेंशन की निर्धारित न्यूनतम दर के प्रावधान लागू नही होंगे।

(ii) राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या एफ.15(5) एफ डी/रूल्स/98 दिनांक 11.06.1998 के अन्तर्गत दिनांक 1.9.1988 के पूर्व के पेंशनरों के मामले में उनकी सेवानिवृत्ति के दिन की परिलब्धियों के आधार पर दिनांक 01.09.1988 की काल्पनिक परिलब्धियां निर्धारित कर उनके आधार पर पारिवारिक पेंशन की निर्धारित दर से गणना पुनः की जानी है जिसे परिपत्र दिनांक 21.03.1988 के अन्तर्गत समेकित करना है तथा 1.9.1988 के परिलब्धियों की 30 प्रतिशत राशि एवं 01.09.1988 को आंकलित पारिवारिक पेंशन के अन्तर की राशि जोड़नी है। इसी प्रकार परिलब्धियों की 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का लाभ सभी पेंशनरों को दिया गया है, तदनुरूप इन पेंशनरों को भी मिल जावेगा।

(iii) पारिवारिक पेंशन की गणना बिन्दु संख्या 1 के भाग (i) में वर्णित प्रकियानुसार ही की जानी है।

बिन्दु संख्या 4 एवं 5 – पेंशनर/पेंशनर के पति/पत्नि द्वारा (पेंशनर द्वारा सादे कागज में एवं पति/पत्नि द्वारा प्रपत्र–14 एवं 14 क में) आवेदन मिलिट्री सेवा के पीपीओ की मूल प्रति एवं सिविल सेवा के पीपीओ की प्रमाणित प्रति के साथ पेंशन विभाग में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पेंशन विभाग द्वारा जांच उपरान्त पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जावेगी। इन मामलों में आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शिथिल रहेगी बशर्ते कि पेंशन विभाग के अभिलेख में पेंशनर के परिवार का विवरण एवं संयुक्त फोटो, वर्णात्मक नामावली उपलब्ध हो।

बिन्दु संख्या 6 पूर्व में पेंशनर द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर अधिकृत पारिवारिक पेंशन के मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(के.के गैडियोक)
निदेशक

O/C 22.7.15